संख्या-57/2016/2468/33-3-2016-306/2014

पे्रषक,

महेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज,अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 03 अक्टूबर, 2016

विषय:- पंचायतीराज विभाग में नवनियुक्त जिला पंचायत राज अधिकारियों एवं कार्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु वित्तीय व्यवस्था का प्राविधान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3/30/2016-3/4/2016, दिनांक 09.09.2016 एवं पत्र संख्या-3/35/2016-3/8/2016, दिनांक 16.09.2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें पंचायतीराज विभाग में नवनियुक्त जिला पंचायत राज अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु रू0-832500 एवं कार्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रू0-444000 अर्थात कुल रू0-1276500 (रू0 बारह लाख छिहत्तर हजार पांच सौ मात्र) की मांग के औचित्य के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से पंचायत प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु मात्राकृत 0.15 प्रतिशत धनराशि रू. 6.1060 करोड़ मे से अवशेष धनराशि रू. 273.606 लाख के सापेक्ष जिला पंचायत राज अधिकारियों एवं कार्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु अनुमानित व्यय रू. 1276500 (रू0 बारह लाख छिहत्तर हजार पांच सौ मात्र) को पी0एल0ए0 से आहरित कर व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- यह धनराशि उसी प्रयोजन पर व्यय की जायेगी जिस हेतु इसकी मांग की गयी है। उक्त प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन पर व्यय किया जाना वित्तीय अनियमितता होगी।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)

http://shasanadesh.up.nic.in

विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक:: उपरोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

4- जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ।

5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in